कार्यालय जिला पंचायत, फर्रूखाबाद

पत्रांक: 750 /जि0पं0फ0/निर्माण/2011–12 दिनांक 21 मार्च, 2012

अल्पकालिक निविदा सूचना

जिला पंचायत, फर्रूखाबाद के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के लिये मोहर बन्द निविदायें दिनांक 13–04–2012 को अपरान्ह 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं जो उसी दिन अपरान्ह 4:00 बजे उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 12–04–2012 अपरान्ह 5:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित शुल्क जमा कर, जिला पंचायत कार्यालय से क्रय किये जा सकते है। प्रस्तावित कार्यो का विवरण, कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है। निविदाओं के साथ 2 प्रतिशत बयाने की धनराशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0, पोस्ट ऑफिस की पास बुक, राष्ट्रीय बचत पत्र, के0बी0पी0 के रुप में प्रत्येक निविदा के साथ पृथक–पृथक रुप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, फर्रूखाबाद के नाम बन्धक होनी चाहिये। एक निविदा के साथ संलग्न एफ0डी0आर0/राष्ट्रीय बचत पत्र/पासबुक आदि का संदर्भ, बयाना राशि के लिये दूसरी निविदा में दिये जाने पर दूसरी निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा फार्म में भरी जाने वाली दरें, निविदादाता द्वारा अंको एवं शब्दों में सुस्पष्ट रुप से लिखी जायेंगी, तथा निविदा का ईमेल, रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा कार्यालय में सीधे जमा किया जा सकता है। निविदा फार्म को बेवसाइट **Farrukhabad.nic.in** से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है। बेवसाइट पर निविदा फार्म जमा करते समय, निविदा फार्म का मूल्य तथा धरोहर बयाने की नगद धनराशि जिला पंचायत के, **यूनियन बैक ऑफ इण्डिया, फतेहगढ, में खाता संख्या 1888** में सीधे जमा किया जायेगा और बयाने की धनराशि का विवरण निविदा फार्म पर अंकित किया जायेगा तथा मूल प्रमाण पत्र (जमा रसीद) स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड, डाक द्वारा जिला पंचायत, कार्यालय में भेजा जायेगा। सशर्त टेन्डर मान्य न होंगे। विभाग के सक्षम अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा, कि वह बिना कारण बताये किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार कर दें। अनुबन्ध के समय 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रुप में जमा करनी होगी। अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से की जा सकती है।

क्र0सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलन की धनराशि (लाख में)	व्याना धनराशि	निविदा मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	अभ्युक्ति
01	पिपरगांव बढेली मार्ग से रेलवे लाइन तक स0मा0 (प्रथम भाग)	9.97	19940	1000	दो माह	
02	पिपरगांव बढेली मार्ग से रेलवे लाइन तक स0मा0 (द्वितीय भाग)	9.92	19840	1000	दो माह	
03	पिपरगांव बढेली मार्ग से रेलवे लाइन तक स0मा0 (तृतीय भाग)	7.43	14860	750	दो माह	
	योग	**27.32**				

(बजीह उद्दीन)
अभियन्ता
जिला पंचायत, फर्रूखाबाद

(नरेश यादव)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, फर्रूखाबाद

(तहसीन सिद्दीकी)
अध्यक्ष
जिला पंचायत, फर्रूखाबाद

पृष्ठांकन सं0:   /निर्माण/जि0पं0फ0/2011–12   तद् दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– सम्पादक समाचार पत्र "स्वतन्त्र भारत, दि पायनियर" को इस आशय से कि उपरोक्त विज्ञापन अपने समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित कर, ज्ञापन की दो प्रतियॉ बिल सहित इस कार्यालय को प्रेषित करें।
2– कार्यालय जिला न्यायाधीश महोदय, जनपद, फर्रूखाबाद। (नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु)
3– कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट महोदय, फर्रूखाबाद (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)
4– कार्यालय पुलिस अधीक्षक महोदय, फर्रूखाबाद। (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)
5– कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फर्रूखाबाद की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
6– कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग, लो0नि0वि0 फर्रूखाबाद को (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।
7– कार्यालय अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका/परिषद, फर्रूखाबाद को (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु)।
8– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी nic फर्रूखाबाद को इस आशय से प्रेषित की अपनी बेवसाइड में संलग्न सी0डी0, प्रकाशित करने का कष्ट करें। (सी0डी0 सहित)
9– नोटिस बोर्ड जिला पंचायत, फर्रूखाबाद में चस्पा हेतु।
10– वित्तीय परामर्श दाता, लेखाकार व कैशियर जि0पं0 फर्रूखाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11– जिला पंचायत के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत
फर्रूखाबाद